तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 1623 / 2006 / बारां** **जगदीश बनाम पन्नालाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–

1– श्री जे0के0 पंत, अभिभाषक अपीलार्थी।

2– श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांक –28.01.2026

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा की अपील सं0 265/2006 में पारित आदेश दिनांक 18–01–2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट पन्ना को मु0 नं0 29 की 02–13–00 बीघा भूमि चम्बल कमाण्ड नियमों के तहत दिनांक 18–03–1989 को आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 18–03–1989 के विरुद्ध अपीलांट जगदीश द्वारा अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलीय न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 18–01–2006 से अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज कर आवंटन आदेश दिनांक 18–03–1989 को यथावत् रखा गया है। इसी निर्णय दिनांक 18–01–2006 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गयी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 1623 / 2006 / बारां** **जगदीश बनाम पन्नालाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया आवंटन निरस्तनीय है क्योंकि रेस्पो0 द्वारा 16 वर्ष में भी वादग्रस्त आराजी का कब्जा नहीं लिया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 20–09–1989 को स्वयं लिख कर भी दिया है कि वह दखल नहीं लेना चाहता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा राशि भी जमा नहीं करवायी गयी है जिससे यह आवंटन स्वतः ही निरस्तनीय है। खसरा नं0 29 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा की कृषि भूमि अपीलांट के खाते के खेत के पास की स्ट्रीप ऑफ लैण्ड है, इसको अपीलांट ने बहुत अधिक मेहनत करके तथा काफी पैसा लगाकर तैयार किया है। यह आराजी अपीलांट के खेत के पास की स्ट्रीप ऑफ लैण्ड होने से केवल अपीलांट को ही दी जा सकती थी, किसी अन्य को नहीं दी जा सकती थी। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के लम्बे समय से कब्जा शुदा भूमि होने से ओक्यूपाईड भूमि होने के कारण भी आवंटन योग्य नहीं थी तथा आवंटन करने से पहले अपीलांट को प्रभावित पक्षकार होते हुए भी सुना नहीं गया है। आवंटी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं लेने तथा नियमानुसार काश्त नहीं करने से भी आवंटी का आवंटन निरस्तनीय है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 18–01–2006 को निरस्त करते हुए आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–03–1989 को भी खारिज किया जावें।

5– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के तर्कों का विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 1623 / 2006 / बारां** **जगदीश बनाम पन्नालाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील ही मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी थी। अपीलांट द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलांट की आराजी के पास रेस्पोडेन्ट की भूमि अवश्य है परन्तु रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि के 16 वर्ष पूर्व आवंटन होने के बाद से ही गैर खातेदार दर्ज है तथा तभी से वादग्रस्त आराजी पर काबिज भी है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट को आवंटित होने के कारण यह स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की परिभाषा में नहीं आती है। इसलिये आवंटन आदेश विधिसम्मत् होने के कारण अपीलांट की अपील सही खारिज की गयी है। अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित निर्णय न्याय संगत होने के कारण अपीलांट की अपील खारिज की जावें।

उन्होंने अपने समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्त यथा 2001 आर0आर0डी0 पेज 437 (HC), 2006(2) आर0आर0टी0 पेज 1220, 1171 प्रस्तुत किये हैं।

6- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी गयी बहस पर मनन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन व परिशीलन किया गया।

7- पत्रावली के अवलोकन से तथ्यात्मक स्थिति यह है कि प्रार्थी पन्नालाल पुत्र ग्यारसीराम को राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के तहत दिनांक 18-03-1989 को ग्राम मउ में स्थित भूमि खसरा नं0 29 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा का आवंटन किया गया था। इसके विरूद्ध अपीलांट जगदीश वगैरह द्वारा अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील 16 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी। अपीलीय न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अपने निर्णय दिनांक 18-01-2006 द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की जाकर आवंटन आदेश दिनांक 18-03-1989 को यथावत् रखा गया है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 1623 / 2006 / बारां** **जगदीश बनाम पन्नालाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8- प्रस्तुत प्रकरण में अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में माना है कि वादग्रस्त आराजी का आवंटन रेस्पोडेन्ट को दिनांक 18-03-1989 को नियमानुसार किया गया है जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलीय न्यायालय में लगभग 16 वर्ष पश्चात् पेश की है जो कि मियाद बाहर है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी को स्वयं के खाते के खेत के समीप स्थित स्ट्रीप ऑफ लैण्ड बताया गया है तो अपीलांट को उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित होने के तथ्य की भी स्पष्ट जानकारी होगी। इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध लगभग 16 वर्ष बाद अपील पेश की है जिसमें अपील विलम्ब से पेश किये जाने का कोई भी सद्भाविक कारण अवगत नहीं कराया है। इसके अभाव में अपील को कन्डोन किये जाना सम्भव नहीं होने से उक्त अपील मियाद बाहर मानी है। प्रकरण में गुणावगुण पर भी माना है कि रेस्पोडेन्ट भूमिहीन तथा अनुसूचित जाति का है। उसके द्वारा आवंटित भूमि की राशि भी मय ब्याज जमा करवा दी गयी है। रेस्पोडेन्ट को गैर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। वर्तमान में रेस्पोडेन्ट राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज अभिलेखित है। उक्त आराजी का दखल भी रेस्पोडेन्ट को दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में मात्र अपीलांट की भूमि के पास वादग्रस्त आराजी का स्थित होना बताकर अपीलांट उक्त भूमि को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड बताते हुए उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं। उक्त आराजी स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की परिभाषा में आती तो अपीलांट को आवंटन के समय उक्त भूमि पर अपना कब्जा सिद्ध करते हुए आवंटन समिति के समक्ष अपना क्लेम प्रस्तुत करना चाहिए था। आवंटनशुदा भूमि पर केवल मात्र स्ट्रीप ऑफ लैण्ड होने के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपना क्लेम नहीं कर सकता है। इस आधार पर आवंटन समिति द्वारा किये गये नियमानुसार आवंटन को निरस्त भी नहीं किया जा सकता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 1623 / 2006 / बारां** **जगदीश बनाम पन्नालाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	9- **विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त 2001 आर0आर0डी0 पेज 437 में अभिनिर्धारित किया गया है कि -** Raj. Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Koles, 1970, Rules 4, 9, 10 & 13-Allotment of land to landless person (resp.-Petitioners (having less than 15 bighas land and falling within definition Fating 11 landless persons) are in possession of land in question as rank trespassers-Held, the land was available for allotment to resp. No.5 under the Rules-spasser has no right, title and interest in the land-Allotment Committee may egitimately decline to allot land to trespassers even if they come within definition landless persons-Further observed that in the matter of allotment of agrl. and preference should be given to those landless persons who are not possessing lovagrl, land at all-Before making alletment of land, trespassers should be irted therefrom-In these writ petitions, petitioners (be (being trespassers) are rected to hand over possession of land in dispute to Tehsildar, to be given into (Paras 6 & 7) possession of allottee-respondent No.5. 10- **प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त 2006 आर0आर0टी0 पेज 1220 में प्रतिपादित किया गया है कि -** Rajasthan Land Revenue (Allotment of Govt. Land for Agricultural Purposes) Rules, 1975-Rule 14(4)-Cancellation of allotment-R.A.A. cancelled the order of allotment on the ground that notification was not affixed on vari-ous places-Second appeal-Respondent is a tresspasser & his no applica-tion was pending for allotment-Land recorded as Bila Nam-Title or rights did not accrue on the basis of tresspass-Land in possession of tresspasser deemed unoccupied land-No allegation of obtaining	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 1623 / 2006 / बारां** **जगदीश बनाम पन्नालाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

allotment by fraud or misrepresentation-Sufficient material to show that copy of notification sent to authorities for affixing on various places-No affidavit filed to prove con-trary-Held, Impugned order is illegal & set aside & allotment order is restored.

11- **प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त 2006 आर0आर0टी0 पेज 1171 में प्रतिपादित किया गया है कि -**

Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970-Rule 14(4)-Allotment of Land-RAA allowed the appeal & can-celled the allotment-Second appeal-Land was recorded as Govt. Siwai Chak-Land was neither charagah nor of public use-Respondent was tresspasser over the land-Tresspasser has no locus standi to challenge the allotment-Land in possession of tresspasser is an unoccupied land & available for al-lotment-Proclamation was made as per rule & allotment was made by Allot-ment Advisory Committee-Held, Judgment passed by RAA is illegal & set aside & order of allotment is maintained.

Limitation Act, 1963-Sec. 5-Condonation of delay by RAA-Land al-lotted on 21.9.1975-Order challenged after 21 years-No sufficient cause shown for condonation of delay-Held, RAA was not justified in condoning the delay.

Imp. Point:- Tresspasser has no right to challenge the order of allotment. Appeal allowed.

12- इसलिए उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में विवेचन पश्चात् हमारे विनम्र मतानुसार अपीलांट की अपील विधिक रूप से सारहीन होने के कारण ही खारिज करते हुए आवंटन आदेश दिनांक 18-03-1989 को यथावत् रखा गया है जिसमें हम किसी प्रकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 1623 / 2006 / बारां** **जगदीश बनाम पन्नालाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अपीलांट की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

13– विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा होते हैं।

14– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट न्यायहित में सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–01–2006 को यथावत् रखा जाता है।

15– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य